नीतिगत/महत्वपूर्ण
संख्या-01 /2019/152/46-3-19-3 (36-ए)/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 11 फरवरी, 2019**

विषय- पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित व पूर्ण भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों एवं उ.प्र. सहकारी बैंक के माध्यम से, प्रदेश के निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को राज्य सरकार द्वारा साफ्ट लोन दिये जाने के संबंध में "चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-12/2018/1698/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-14/2018/1764/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 13 अक्टूबर, 2018 व अधिसूचना संख्या-15/2018/1719/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-18/2018/1998/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 20 नवम्बर, 2018, शासनादेश संख्या-23 /2018/ 2080 /46-3-18-3(36-ए)/2018-टी.सी., दिनांक 29 नवम्बर, 2018 तथा शासनादेश संख्या-26 /2018/ 2087 /46-3-18-3(36-ए)/2018-टी.सी., दिनांक 30 दिसम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित व पूर्ण भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों एवं उ.प्र. सहकारी बैंक के माध्यम से, प्रदेश के निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को राज्य सरकार द्वारा साफ्ट लोन दिये जाने के संबंध में "चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं योजनान्तर्गत निर्धारित विभिन्न तिथियों को अद्यावधिक/संशोधित किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में गन्ना आयुक्त के पत्र संख्या- 5314/क्रय/वित्तीय सहायता/2017-18, दिनांक 28 जनवरी, 2019 के माध्यम कतिपय चीनी मिलों के ऋण दावा तकनीकी कमियों एवं योजना के अन्तर्गत गन्ना मूल्य की अर्हकारी धनराशि के भुगतान में विफल रहने के कारण तथा योजना की अन्तिम तिथि समाप्त हो जाने के कारण स्वीकृत ऋणकी धनराशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। जिसके कारण पेराई सत्र 2017-18 का गन्ना मूल्य रु. 1195.74 करोड भुगतान हेतु अवशेष होने के तथ्यों से अवगत कराते हुए, योजना की अवधि न्यूनतम 15 दिन का समय विस्तार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में गन्ना आयुक्त की संस्तुति व अन्य बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरांत शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार **"चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना"** के अन्तर्गत चीनी मिलों को साफ्ट लोन दिये जाने हेतु, आवेदन करने, ऋण स्वीकृत/वितरित किये जाने एवं किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने हेतु, योजनान्तर्गत, इस शासनादेश के निर्गत किये जाने की तिथि से, 15 दिन की अवधि के लिए बढाया जाता है।

4- जिन चीनी मिलों द्वारा योजनान्तर्गत ऋण हेतु आवेदन किया गया था एवं उनका आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया/निरस्त कर दिया गया है, उन्हे उपरोक्तानुसार बढायी जा रही अवधि का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5- तद्नुसार उपर्युक्त शासनादेश संख्या-12/2018/1698/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 एवं शासनादेश संख्या-14/2018/1764/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 13 अक्टूबर, 2018 तथा अधिसूचना संख्या-15/2018/1719/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 18/ 2018 / 1998 /46- 3- 18-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3(36-ए)/2018, दिनांक 20 नवम्बर, 2018, शासनादेश संख्या-23/2018/ 2080 /46-3-18-3(36-ए)/2018-टी.सी., दिनांक 29 नवम्बर, 2018 तथा शासनादेश संख्या-26 /2018/ 2087 /46-3-18-3(36-ए)/2018-टी.सी., दिनांक 30 दिसम्बर, 2018 को, इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उनमें उल्लिखित शेष अन्य शर्तें एवं प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 01 /2019 / 152 (1) /46-3-18-3(36-ए)/ 2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय तथा लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/संस्थागत वित्त/सहकारिता/न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
3- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
4- सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।
6- संयुक्त सचिव, भारत सरकार (शर्करा), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
12- महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
13- क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।
14- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
15- मुख्य आंचलिक प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, **(लीड बैंक)**, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से प्रदेश में स्थित सभी बैंकों को इस योजना के प्राविधानों से अवगत कराने एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत करने के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश/गाइडलाइन निर्गत कराने का कष्ट करें।
16- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी बैंक लि., लखनऊ।
17- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
18- महासचिव, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसियेशन, चिन्टल हाउस, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस योजना को अपने स्तर से सभी सदस्य निजी चीनी मिलों को परिचालित/संसूचित करने का कष्ट करें।
19- समस्त परिक्षेत्रीय-उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
20- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
21- समस्त अध्यासी, निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश। **(द्वारा-गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ के माध्यम से)**
22- विधायी अनुभाग-1/ भाषा अनुभाग-5
23- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
24- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

कमल किशोर गुप्त
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।